



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GB 450324

अनुबन्ध पत्र

हम किं स्वाति आनन्द पुत्री अवनी कुमार निवासी बी-5/65 विनित
खण्ड गोमती नगर लखनऊ, _____ प्रथम पक्ष

व

चितरंजन सिंह पुत्र डी0पी0 सिंह निवासी बी-1 अम्बेडकर पुरम सहारनपुर
जिला सहारनपुर, _____ द्वितीय पक्ष

विदित हो कि प्रथम पक्ष वाहन जिसका रजि0 नं0 UP32FX-6891
मॉडल मारुति सूजूकी स्विफ्ट डिजायर वीएक्सआई का एक मात्र स्वामी है।
विक्रेता को रूपयो की आवश्यकता पडने पर उक्त वाहन को विक्रय करने की
बाबत इधर उधर बातचीत चलायी जिस पर द्वितीय पक्ष उपरोक्त उक्त वाहन
को मु0 2,50,000/-रु0 में क्रय करने को रजामन्द हो गया जिससे कि
उभयपक्षो के मध्य आपस में किसी प्रकार का विवाद इत्यादि उत्पन्न न हो
जिस कारण उभयपक्षो की सहमति से यह अनुबन्ध पत्र तहरीर किया जा रहा
है जिसकी शरायते निम्न है:-



IDENTIFIED BY

1- यह कि द्वितीय पक्ष व प्रथम पक्ष के मध्य दिनांक 01.05.2023 को वाहन उपरोक्त का सौदा मु0 2,50,000/-रु0 तय पाया गया है जिसका भुगतान दिनांक 01.05.2023 में ही हो चुका है।

2- यह कि द्वितीय पक्ष दिनांक 01.05.2023 से उक्त वाहन का मालिक हो गया है तथा उक्त वाहन से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना, क्लेम, चालान इत्यादि होता है तो उसकी देनदारी की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

3- यह कि दिनांक 01.05.2023 से पूर्व उक्त वाहन के सम्बन्ध में चालान, क्लेम, एक्सीडेंट व देनदारी आदि होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रथम पक्ष विक्रेता की होगी।

4- यह कि द्वितीय पक्ष वाहन उपरोक्त को अपने नाम आर0टी0ओ0 ऑफिस से ट्रांसफर करायेगा जिसके लिए प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी एवं समस्त खर्चा द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।

5- यह कि इस अनुबन्ध पत्र की शर्तों की पाबन्दी उभयपक्षों एवं उनके वारिसान पर भी लागू होगी अर्थात् पाबन्द रहेगी।

लिहाजा दोनों पक्षों ने खूब सोच समझकर बिना किसी जोर दबाव के अपने स्वस्थ मनचित की अवस्था में समक्ष गवाहान यह अनुबन्ध पत्र तहरीर कर दिया ताकि संनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे। इति।

दिनांक- 21.09.2023

गवाह- रमेश कुमार
सहायक पुरान

ह0 प्रथम पक्ष-

Chitrangad

गवाह- सोमपाल
महाराजपुर

ह0 द्वितीय पक्ष-

Chitrangad

IDENTIFIED BY
Alley

IDENTIFIED BY
Alley

21.9.23
21.9.23